कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 604 / FP/UK/ROAD/41397/2019 : देहरादूनःदिनांकः 31 अगस्त, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः–जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल–घण्डियालधार (मयाली) जू0हा0 स्कूल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.400 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 08बी/U.C.P./06/113/2020/FC/1490 दिनांक 28–01–2022।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा विषयांकित वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण में 5 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जिसके अनुपालन में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती के पत्र संख्या 2356/12–1 दिनांक 21.05.2022 एवं पत्रांक संख्या 217/12–1 दिनांक 29.07.2022 के द्वारा कतिपय 5 बिन्दुओं की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी 5 बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

क्र0 सं0	आपत्तियां	निराकण
1	प्रस्ताव ऑनलाइन प्राप्त नही हुआ है। राज्य सरकार प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित करने का कष्ट करें, तदोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	बिन्दु संख्या 1 के अनुपालन में वन संरक्षक भागीरथी वृत्त द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 01.07.2022 को सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है, जिसके क्रम में अनुपालन आख्या ऑनलाईन भी प्रेषित की जा रही है।
2	सी0ए0 हेतु जमा धनराशि रू0 9,44,115/– है जोकि प्रस्तुत सी0ए0 योजना के अनुसार है। परन्तु अनुपालन आख्या में रू0 9,44,115/– के स्थान पर रू0 9,44,155/– उल्लिखित है। अतः राज्य सरकार इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।	बिन्दु संख्या 2 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के अनुसार सी0ए0 हेतु धनराशि 9,44,115/– ही ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। टंकण त्रुटिवश 9,44,115/– के स्थान पर 9,44,155/– अंकित हो गया है।
3	राज्य सरकार खतौनी के विवरण के दस्तावेजों की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रदाय करें।	बिन्दु संख्या 3 के अनुपालन में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्रांक 217/12–1 दिनांक 29.07. 2022 के द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र की खतौनी के मूल अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। (संनग्ल–1)
4	बिन्दु क्र0 3 (ख) के सापेक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नही हुआ है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा	बिन्दु संख्या 4 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 548/X-3-22/1(132)/2020 दिनांक 01.06.2022 से क्षतिपूरक वनीकरण हेतु

	निर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, इस दशा में विधिवत् स्वीकृति प्रदान नही की जा सकती है अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनिमय, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	चयनित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। अधिसूचना की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5	सैद्धांतिक स्वीकृति के बिन्दु क्र0 3 (ग) कि सापेक्ष में प्रस्तुत दस्तावेज प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा हस्ताक्षरित है जो कि संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अतः राज्य सरकार सैद्धांतिक स्वीकृति के बिन्दु क्र0 3 (ग) की अनुपालना में वन मंडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या–5 के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–3(ग) के क्रम वन मण्डल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण–पत्र कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र में पूर्व में किसी भी योजना, अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संनग्ल–2)

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण।

संख्या– 604/ FP/UK/ROAD/41397/2019 दिनांकित।
प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को उनके पत्रांक 217/12–1 दिनांक 29.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31/08/22
(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण।